न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2019-00113Ju2019-43 Dungarram etc Vs Nemichand etc

---

01. डूँगरराम पुत्र श्री हजारीराम
02. सुगनादेवी पुत्री श्री हजारीराम
03. समु देवी पुत्री श्री हजारीराम
04. सुन्दरदेवी पुत्री श्री हजारीराम
05. शांति देवी पुत्री श्री हजारीराम
06. अणचीदेवी पुत्री श्री हजारीराम
07. दाखूदेवी पुत्री श्री हजारीराम
08. मूलीदेवी पुत्री श्री हजारीराम
09. चूकी देवी पुत्री श्री हजारीराम के कायम मुकामः -
   9.1. हड़मानराम पुत्र श्री रामचंद सभी जातियान् माली, निवासीगण बजरंग नगर बिंजवाड़िया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नेमीचंद पुत्री मुकनाराम जी
2. घेवरराम पुत्र श्री मुकनाराम जी
3. जमनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जी
4. पुखराज पुत्र श्री मुकनाराम जी
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री मुकनाराम सभी जातियान् माजी निवासीगण- बजरंगनगर बिंजवाड़िया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 30 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 94/2014 नेमीचंद व अन्य बनाम डूँगरराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री सांगाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2014 नेमीचंद व अन्य बनाम डूँगरराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 29 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति की छूट प्रदान किये जाने हेत पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पोडेंट की ओर से प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसील तिवंरी के ग्राम बजरंगनगर की सरहद पर स्थित खसरा नं. 52/1 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जो मूल खसरा नं. 52 के सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवा लिया तथा मूल खसरा के उत्तरी सीमा पर कटाणी रास्ता स्थित है, जिसमें आने जाने का रास्ता रखते हुए खसरा नं. 52/1 की भूमि रास्ते हेतु उपयोग के लिए रखी गई है और जिस रास्ते से वादीगण आते जाते है। जिस भूमि पर प्रतिवादी ने दिनांक 15.06.2014 को नाजायज अतिक्रमण करके अपनी खातेदारी की भूमि में मिला लिया तथा वादीगण का रास्ता बंद कर दिया। प्रतिवादीगण को समझाईश करने पर भी नहीं माने तथा निर्माण कार्य करने की धमकी दी। वादीगण खसरा नं. 52/1 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल कर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड में नक्शा ट्रेस में तरमीम सुदा है, इसी माफिक मौके पर कब्जा काश्त है। खसरा नं. 52/1 की भूमि के प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न तो खातेदार है और न ही उनका कोई कब्जा काश्त है। वादीगण को नुक्सान पंहुचाने की नियत से रास्ते पर वादीगण के आने जाने के स्थान पर कब्जा किया है तथा भूमि के आने जाने के स्थान पर निर्माण करके वादीगण को नुक्शान पहुंचाना चाहते है। उक्त कथनों के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब का खण्डन करते हुए जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं जवाबुल जवाब के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गई: -

01. आया वादीगण कटाण के रास्ते से वादग्रस्त भूमि में जाने वाले रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा आंशिक भाग पर जो अतिक्रमण किया है, उसे उनको बेदखल करके वादीगण को पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है? **जिम्मे वादीगण.....**

02. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? **जिम्मे वादीगण....**

03. आया प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि के एक इंच पर भी अतिक्रमण किया हुआ नहीं है? **जिम्मे प्रतिवादीगण......**

04. आया उक्त वाद में चेतनराम व किशनराम आवश्यक पक्षकार है, जिनके अभाव में यह वाद नहीं चल सकता है?

जिम्मे प्रतिवादीगण......

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

05.आया वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादीगण.

.....

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2019 को उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा बनाया जाकर जारी नही किये जाने से डिक्री पर्चा की नकल पेश नहीं की जा सकी। निर्णय के अंतिम पैरा को ही डिक्री पर्चा मानकर डिक्री पर्चा पेश करने की छूट दिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर आये अभिवचनों व दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नं. 53 गैर मुमकिन बेरे की जमीन है, जिसमें बिरमराम के तीन पुत्रों का 1/2 हिस्सा स्थित है व 1/2 हिस्सा चेतनराम पुत्र लालुराम व किशनाराम पुत्र कोलाराम का संयुक्त रूप से है। खसरा नं. 52 के विभाजन प्रत्येक का 14.17 बीघा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते हुए खसरा नं. 52 हजारीराम के नाम, खसरा नं. 52/1 मुकनाराम के नाम व खसरा नं. 52/2 किशनाराम के नाम दर्ज हुआ। तब से अपीलांट-प्रतिवादीगण एवं वादीगण-रेस्पो. काबिज है। अपीलांट्स द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही इस बाबत वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है और न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य से ही साबित किया है। वादीगण द्वारा किसी प्रकार से साबित नहीं किये जाने के बावजूद भी तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में साबित होना मानते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने में बड़ी कानूनी व वाक्याती त्रुटि की है, जिस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 पारित करते वक्त न तो पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किया और न ही उन साक्ष्य को कन्सीडर किया गया है और न ही पक्षकारान् द्वारा पेश साक्ष्यों का अपने द्वारा पारित निर्णय में विवेचन ही किया गया है। निर्णय में एक शब्द भी इस बाबत अंकित नहीं किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य किस प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में स्पष्ट सशपथ बयान दिया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कृषि भूमि खसरा नं. 52/1 की 1 इंच जमीन पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं किया है। आज दिन तक वादीगण का रास्ता यथावत है। वादीगण द्वारा खसरा नं. 54 एवं खसरा नं. 53 के खातेदारान् के साथ सांठ गांठ करते हुए जान बूझ कर इनको पक्षकार संयोजित नहीं कर प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 52 में से नया रास्ता स्थापित करने के लिए गलत वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा ट्रेस नक्शा प्रदर्श ए-5 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि खसरा नं. 52/1 का कटाणी रास्ते तक विभाजन से ही अपनी जमीन में स्थित है। जिस दस्तावेज को नजर अंदाज करते हुए प्रतिवादीगण ने रास्ता बंद करके अतिक्रमण करने का निष्कर्ष अपने द्वारा पारित निर्णय में स्वयं ही दस्तावेज से गलत साबित हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा खसरा नं. 52,53 व 54 के खातेदारों को वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित ही नही किया, जबकि वे आवश्यक पक्षकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वक्त बंटवाड़ा से अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में काबिज है। वक्त बंटवाड़ा वादग्रस्त कृषि भूमि का सीमांकन भी नहीं किया गया था। सीमांकन नहीं होने से किस खातेदार के पास कितनी कम व ज्यादा भूमि है, इस बाबत वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में विवेचन किया गया। विभाजन से वादी द्वारा वाद बेदखली का म्याद बाहर प्रस्तुत किया है, जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान ही आकर्षित नहीं किया गया। अंत मे अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री खारिज फरमाया जावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 52/1 में आने जाने के लिए रास्ता रखते हुए मूल खसरा नं. 52 की पूर्वी सीमा पर रास्ता लगते हुए खसरा नं. 52/1 की तरमीम की हुई है। प्रतिवादीगण खसरा नं. 52 के खातेदार है, जिन्होने खसरा नं. 52/1 में स्थित कटाणी रास्ते पर नाजायज अतिक्रमण करके अपनी भूमि में मिला लिया तथा वादीगण के आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया तथा रास्ते का केवल आंशिक भाग छोड़ रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद, प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते हुए तनकीवार विवेचन करते हुए हल्का पटवारी व पुलिस की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमित रास्ते से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी नहीं किये जाने पर निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री पर्चा माना जाकर डिक्री पर्चा पेश करने की छूट प्रदान की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध थानाधिकारी पुलिस थाना मथानिया से प्राप्त जांच रिपोर्ट में संलग नजरी नक्शें में दर्शित बिंदु ए पर मौके पर कदीमी रास्ते पर ताजा पत्थर डाले हुए पाये गये, जिससे किशनाराम, नेमीचंद के भाईयों के घर जाने का रास्ता अवरूद्ध होना बताया गया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में भी दर्शित नजरी नक्शे में बिंदु 1 व 2 पर रास्ता बंद होना बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं **पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्टो के आधार वादग्रस्त खसरा नं. 52/1 रकबा 14.17 बीघा के आंशिक भाग पर पत्थर डाल कर कटाणी मार्ग पर अतिक्रमण होना पाया जाता है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत साक्ष्य पर तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2014 नेमीचंद व अन्य बनाम डूॅगरराम इत्यादि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 जनवरी 2019 में पारित आदेश दिनांक 17 नवंबर 2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. डूँगरराम पुत्र श्री हजारीराम 02. सुगनादेवी पुत्री श्री हजारीराम 03. समु देवी पुत्री श्री हजारीराम 04. सुन्दरदेवी पुत्री श्री हजारीराम 05. शांति देवी पुत्री श्री हजारीराम 06. अणचीदेवी पुत्री श्री हजारीराम 07. दाखूदेवी पुत्री श्री हजारीराम 08. मूलीदेवी पुत्री श्री हजारीराम 09. चूकी देवी पुत्री श्री हजारीराम के कायम मुकामः - 9.1. हड़मानराम पुत्र श्री रामचंद सभी जातियान् माली, निवासीगण बजरंग नगर बिंजवाड़िया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।	ब ना म	1. नेमीचंद पुत्री मुकनाराम जी 2. घेवरराम पुत्र श्री मुकनाराम जी 3. जमनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जी 4. पुखराज पुत्र श्री मुकनाराम जी 5. ओमप्रकाश पुत्र श्री मुकनाराम सभी जातियान् माजी निवासीगण-बजरंगनगर बिंजवाड़िया, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर। 1.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 30 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 94/2014 नेमीचंद व अन्य बनाम डूँगरराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 18 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट अधिवक्ता एवं श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत साक्ष्य पर तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2014 नेमीचंद व अन्य बनाम डूँगरराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2019 में पारित आदेश दिनांक 17 नवंबर 2015 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----/--) रुपये ----/--------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---/------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

18/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील	/
मीजान		मीजान	

18/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर